किस्म मुकदमा ___ अधि. मुकदमा नम्बर 31/21

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/9/21	प्रार्थी / वादी / अपीलेंट के वकील श्री [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/12/21 को पेश हो । [signature] सहायक कलेक्टर [illegible]	
15/12/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर लगाकर खुद पेश हुयी पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड TDQ रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया गया। पटवारी हल्का को मौके पर भेजा गया एवं मौके की जानकारी ली गयी। आवेदक का स्थान प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली नियमानुसार होकर मूल प्रार्थना पत्र के साथ नत्थी हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:15:45 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदयजी,
गुडामालानी – बाडमेर

प्रार्थीगण :–

1. डुगराराम पुत्र चोलाराम
2. लालाराम पुत्र चोलाराम

जातियान जाट निवासी राणासर खुर्द
तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :–

राजस्थान राज्य द्वारा
श्री तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्राप्त करने स्थगन

महोदयजी

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र निम्न अनुसार है :–

1. कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय मे एक राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे पेश किया है जिसमे वर्णित तथ्यो व दस्तावेजा से प्रथम — द्वष्टया प्रमाणित होने से सफलता मिलने की पुर्ण सभावना है।
2. कि ग्प्रम राणासर खुर्द पटवार मंडल राणासर खुर्द तहसील गुडामालानी मे प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 28 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा का आया है , जिसके पश्चिम सेढे पर [illegible] प्रार्थीगण के खेत के पश्चिम सरकारी सडक / रास्ता आया [illegible] है। सेढे का रकबा 19 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:15:45 IST
Reason: SelfAttested

डुगाराम

3. कि राज्य सरकार ने सडक का इस क्षैत्र मे निर्माण कराया है तथा यह सडक प्रार्थीगण के खेत के बिच मे बनी है इस सडक का काफी भाग खातेदारी के खेतो के भीतर से होकर निकलता है, प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 28 रकबा 13 बीधा 16 बिस्वा मे से 19 बिस्वा भूमि इस सडक के निर्माण के अधीन चली गई है।

4. कि जब इस सडक की सर्वे प्रारम्भ हुआ था उस समय प्राथ्रीगण ने आपति भी की थी कि जब पश्चिम दिशा मे रास्ता उपलब्ध है तो उसे छोडकर पुर्व दिशा मे नया सडक/रास्ता कायम करने का कोई औचित्य नही है इससे कृषक को आर्थिक क्षति होगी उस समय सडक सर्वे करने वाले कर्मचारियो व अधिकारियो ने प्रभावित खातेदार कृषको को आश्वस्त किया था कि जिन खेतो के पास से होकर पहले से ही रास्ता है तथा उस रास्ते को छोडकर उसी खातेदारी की अन्य भूमि मे जहा सडक निकल रही है उन खातेदारो को उन पुराने रास्ते की भूमि सडक के अधीन जाने वाली भूमि के बदले दे दी जावेगी व भूमि पर सडक निर्माण स्थान पर रेकर्ड दुरस्त कर दिया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.14 16:15:45 IST
Reason: SelfAttested

5. कि प्रार्थीगण ने उस आश्वासन पर अपनी वादग्रस्त खातेदारी जोत मे सडक निर्माण का विरोध नही किया । प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 28 रकबा 13 बीधा 16 बिस्वा सडक बन जाने से इसी आराजी के पश्चिम की माठ का रास्ता नकारा हो गया है इस रास्ते